राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 573/2009/अलवर.
2. अपील संख्या – 574/2009/अलवर.
3. अपील संख्या – 575/2009/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अग्रवाल आयरन ट्रेडर्स, 26, नेहरू मार्ग, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 217, 218 व 219/उपा–अल/07–08/आरवैट/08 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 18.11.2008 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 24.10.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. तीनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी द्वारा बिक्री की गई एस्बेस्टस सीमेंट शीट राज्य के बाहर से आयातीत होने से उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना क्रम संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–06 दिनांक 05.07.2006 में प्रदत्त करमुक्ति का लाभ नहीं दिया गया क्योंकि इस अधिसूचना में उन एस्बेस्टस शीट को कर से मुक्ति प्रदान की गयी थी जो

लगातार................2

30/11/17

राज्य के भीतर निर्मित एवं उत्पादित की हुई है। चूंकि व्यवहारी द्वारा बिक्री की गई एस्बेस्टस शीट राज्य के भीतर निर्मित नहीं थी अतः उक्त अधिसूचना का लाभ नहीं दिया गया था। आदेश के विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज यथावत रखा परन्तु इसे करापवंचन का मामला न मानते हुए कर दर का विवाद होने से आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया था। इस प्रकरण में राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने के निर्णय को विवादित किया गया है।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत इसी समान बिन्दु पर कर बोर्ड का निर्णय **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत जयपुर बनाम खुटेटा स्टील्स, जयपुर अपील संख्या 1018/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 07.01.2011** में कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया था एवं आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया था। राजस्व द्वारा शास्ति को अपास्त करने के अपीलीय आदेश एवं कर बोर्ड द्वारा उसकी पुष्टि करने के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिवीजन पिटिशन संख्या 534/2011 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.09.2016 के जरिये शास्ति अपास्त करने के निर्णय की पुष्टि की जा चुकी है।

6. उक्त तथ्यात्मक स्थिति में समान बिन्दु पर कर बोर्ड के निर्णय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि करने के निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त करने के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

27. निर्णय सुनाया गया।

30/11/17

(के. एल. जैन)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य